तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.7.23	आज यह प्रार्थना पत्र ,प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा 212 .आर.टी.ए के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र , शपथ पत्र , एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टिया प्रकरण प्रार्थी के हक मे होना प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष के विरूद्ध आगामी तारीख तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न. 240 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 233 रकबा 0.3000 हैक्टैयर, वाकै ग्राम खेडली तहसील रूपबास जिला भरतपुर में उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 31.08.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जबाब पेश करे। आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी की पालना प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा करवाई जावें। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 31.08.2023 को पेश हो ।	
31/8/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर पूर्वा० दि. 19/10/23 को [illegible]	
19/10/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 22/12/23 को पेश हो	
22/12/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 19/2/24 को पेश हो	
19/2/24	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक संघ रूपवास द्वारा कार्य बहिष्कार जारी। उक्त प्रकरण से सम्बधित मूल वाद अदम हाजिरी एव अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम इस हुक्म तामील में ... हुए
	अत: मूल वाद खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	